

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद

अनुमति-पत्र

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल २० प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जित पर मकान बने इसके किसी प्रकार या किसी स्थायी विकास या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के सित्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रावधानों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती श्री श्रीमती सोमप्रताप सुक्तेर

पिता/पति का नाम श्री श्रीमती सुक्तेर सुक्तेर श्री सुक्तेर सुक्तेर श्री सुक्तेर सुक्तेर

दक्षित स्थान पर जो प्राधान्य-पत्र के अन्तर्गत स्थित है, साँच्च के चिन्हित भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण करें।

दिनांक 29-1-2016 तक
समय श्रद्धा अदान
की जाती है।



87/2
सचिव
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

प्रकारी अधिकारी (भवन) इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के अनुमति प्राप्त किया जाता है तो उसे गिरवाया जा सकता है। जिसका पुनः व्यवहार प्राचीन पर होगा। यदि कोई इमारत बिना सविध विकास प्राधिकरण को अनुमति प्राप्त किये निर्माण अथवा पुनः निर्माण होगी तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनवाने वाले से 10 प्रतिशत संयुक्त मुल्क के साथ वसूल किया जायेगा।

2—इस अनुमति-पत्र में सड़क, गली या नाली पर बड़ा कर प्रावधान जैसे कि पोर्ट को, बारजा, तोड़िया, सीढ़ी, शाय नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण का स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।


3—मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पट्टी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अंतर्गत निरन्तर अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हटाने पड़े तो गृह स्वामी गृह विभाग को जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और क्षोभ नही तो पहले ही उसे अपने खर्च से भरसक करके पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देना।

4—गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम (1956 (इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिये। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।

5—प्राचीन को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उससे पूर्ण हो जाने की सूचना आवाद होने से पूर्व देना होना तथा उस आदमी का नाम भी देना होना जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।

6—यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को ये गई स्वीकृति रद्द समझी गयी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

28/08/2008 11:00 AM At 28/08/2008 11:00 AM



BASEMENT PLAN

AREA CHART OF EXISTING BUILDING

EXISTING COVERED AREA ON G.F.	- 1111.29 SQ.MT.
EXISTING COVERED AREA ON F.F.	- 1070.21 SQ.MT.
TOTAL EXISTING AREA	- 2181.50 SQ.MT.
PROPOSED AREA ON G.F.	- 2181.50 SQ.MT.
PROPOSED AREA ON F.F.	- 21.81 SQ.MT.
EXISTING MACHINE ROOM AREA	- 380.00 SQ.MT.
EXISTING MACHINE ROOM AREA	- 77.41 SQ.MT.

CEMENT CONG. IN FOUNDATION	- 4015.13 SQ.MT.
TOTAL AREA OF CONCRETE SLAB	- 3850.59 SQ.MT.
NET AREA OF CHIMNEY AREA	- 1720.00 SQ.MT.
TOTAL COVERED AREA ON G.F.	- 4073.80 SQ.MT.
TOTAL COVERED AREA ON F.F.	- 0.88 SQ.MT.
TOTAL NO. OF TREES	- 50
PROPOSED CAR PARKING AREA	- 645.00 SQ.MT.
EXISTING CAR PARKING SHOWN	- 0
PROPOSED CAR PARKING SHOWN	- 0
PROPOSED WORK SHOWN	- 0
PROPOSED WORK SHOWN	- 0

EXISTING & PROPOSED BUILDING PLAN OF HOTEL YATRIK SITE NO. 00/2 BANGLOW NO. 33 CIVIL STATION AT SARDAR PATEL MARG ALLAHABAD


SCALE : 1:100

OWNER
ANNAPURANA TEXTILE PVT.LTD.
DIRECTOR : JYOTI AGARWAL

THE ANNA TEXILES PVT. LTD.
DIRECTOR


SIG. OF OWNER / DIRECTOR

SIG. OF ENG. / ARCH.




SITE PLAN


PRODUCED BY AN AUTOBEN EDUCATIONAL PRODUCT



PRODUCED BY AN AUTOBEN EDUCATIONAL PRODUCT



PRODUCED BY AN AUTOBEN EDUCATIONAL PRODUCT



1. The floor level is 100.00 m above M.S.L.

2. The ground level is 100.00 m above M.S.L.

3. The roof level is 100.00 m above M.S.L.

4. The height of the building is 10.00 m.

5. The area of the building is 100.00 sq. m.


6. The volume of the building is 1000.00 cu. m.

7. The weight of the building is 1000.00 tons.


8. The cost of the building is 1000.00 Rs.



JAVED AKRAM
DIRECTOR



NO.	TYPE	AREA	VOLUME
1	ROOF	100.00	100.00
2	W.C.	10.00	10.00
3	P.T.	10.00	10.00
4	W.C.	10.00	10.00
5	W.C.	10.00	10.00
6	W.C.	10.00	10.00



EXISTING & PROPOSED BUILDING PLAN OF HOTEL YATEK SITE NO. QQ/2 BANGLOW NO. 59 CIVIL STATION AT SARDAR PATEL MARG ALLAHABAD

SCALE : 1:100

OWNER : ANAMIKANA TEXTILE PVT. LTD.
DIRECTOR : JAVED AKRAM

SIG. OF ENG. / ARCHT.

SIG. OF OWNER / DIRECTOR

PRODUCED BY AN AUTOBEN EDUCATIONAL PRODUCT

